

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-02, मथुरा।

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या -46/2023 (CIS No 116/2023)

राम अवतार गुप्ता प्रति उ०प्र० राज्य आदि

थाना-रिफाइनरी, मथुरा।

07.11.2024

पेश। पुकार पर पक्षकार उपस्थित।

2-निस्तारण प्रार्थनापत्र 6 ख व आपत्ति 12 ख

3- प्रार्थनापत्र 6 ख प्रार्थी राम अवतार गुप्ता द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब क्षमा किये जाने की याचना के साथ इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि संबंधित मुकदमें को स्थानांतरित किये जाने हेतु, माननीय उच्चतम न्यायालय में, उसके द्वारा एक स्थानांतरण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था जो कि दिनांक 12.12.2022 को निस्तारित हो गया था। जिसके उपरांत प्रार्थी बीमार हो जाने के कारण, पुनरीक्षण प्रस्तुत न कर सका और उसने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। समर्थन में शपथपत्र 7 ख प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त का विरोध विपक्षी संख्या-2 सौरभ गोयल द्वारा करते हुये, कथन किया गया है कि प्रस्तावित पुनरीक्षण दो माह के विलंब से, बिना किसी उपयुक्त आधार के प्रस्तुत किया गया है और बीमार रहने का कोई चिकित्सीय साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि आवेदक को आक्षेपित आदेश की जानकारी पूर्व से ही रही है। समर्थन में शपथपत्र 13 ख प्रस्तुत किया गया है।

सुना गया। पत्रावली का परिशीलन किया गया।

प्रश्नगत प्रकरण के स्थानांतरण हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय में आवेदक द्वारा स्थानांतरण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया होना जो कि दिनांक 12.12.2022 को निस्तारित किया गया होना पक्षों के मध्य विवादित नहीं है। दिनांक 12.12.2022 के उपरांत विहित समयावधि में पुनरीक्षण प्रस्तुत न किये जाने का कारण, आवेदक द्वारा स्वयं का बीमार हो गया होना अभिकथित किया गया है। बीमारी का तथ्य विपक्षी द्वारा खण्डित नहीं किया गया है। यद्यपि उसका कथन है कि अपनी बीमारी के समर्थन में आवेदक द्वारा कोई चिकित्सीय साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामले के तथ्य व परिस्थिति के दृष्टिगत, प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। जहां तक विलंब का प्रश्न है, उसकी भरपाई न्यायहित में हर्जे द्वारा संभव है। प्रार्थनापत्र तदनुसार हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 6 ख मु०-500/-रुपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है।

2- परिवाद संख्या 22800/2021 सौरभ गोयल प्रति राम अवतार गुप्ता आदि के प्रकरण में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-5, मथुरा द्वारा पारित आदेश दिनांकित 24.05.2022 के विरुद्ध दाण्डिक पुनरीक्षण प्रस्तुत किये जाने में हुआ विलंब, न्यायहित में क्षमा किया जाता है।

3- पत्रावली अंगीकरण के बिंदु पर सुनवाई हेतु दिनांक 14.11.2024 को विद्वान सत्र न्यायालय, मथुरा प्रेषित हो।

(राकेश सिंह)

अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-02, मथुरा।

आई०डी०-यू०पी० 1614